

अनौपचारिक टिप्पणी


विषय:-15 वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र में लिये जाने वाले विधायी कार्यों की सूचना के संबंध में।

संदर्भ:-पत्र क्रमांक प.11(1)विधि/2/2019 दिनांक 07.01.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 15 वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र हेतु विधि विभाग ने ऐसे विधेयकों जिन्हें प्रथम में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, की सूचना संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई है, की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि आपके अनुभाग से इससे संबंधित सूचना अतिशीघ्र योजना अनुभाग को उपलब्ध करवाने का श्रम करावें। ताकि वांछित चाही गई सूचना समय पर राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


09.01.2018

उप निदेशक (विधानसभा)

1. मिशन निदेशक (एनएचएम) राजस्थान, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक (आरएमएससीएल) मुख्यालय।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/आईईसी/एड्स/आरसीएच) मुख्यालय।
4. अति० निदेशक (चिकित्सा प्रशासन/राजपत्रित/प्रशासन/ग्रामीण स्वास्थ्य)
5. मुख्य अभियंता (एनएचएम) मुख्यालय।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. औषधि नियंत्रक, मुख्यालय।
8. संयुक्त निदेशक (योजना/अंधता) मुख्यालय।
9. राज्य क्षय रोग अधिकारी, मुख्यालय।
10. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, मुख्यालय।
11. परियोजना निदेशक (मातृ स्वास्थ्य/शिशु स्वास्थ्य/टीकाकरण/परिवार कल्याण) मुख्यालय।
12. नोडल अधिकारी (आदर्श पीएचसी) मुख्यालय।
13. कन्सलटेंट आई०टी० मुख्यालय।

मुख्यालय

अनौपचारिक टिप्पणी क्रमांक:- योजना/विधानसभा/प्रथमसत्र/2019/ 88

दिनांक:- 9/1/19

VS
107
8.1.19

श्री राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)

विधान सभा वर्य/तत्काल

परिपत्र

क्रमांक: प.11(1)विधि/2/2019

जयपुर, दिनांक: 07/01/19


विषय:—पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा के मंगलवार दिनांक 15 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रथम अधिवेशन में लिये जाने वाले विधायी कार्यों के संबंध में।

जैसाकि विदित है, पंद्रहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम अधिवेशन मंगलवार दिनांक 15 जनवरी, 2019 से प्रारम्भ होने जा रहा है। अतः सत्र आहूत किये जाने हेतु घोषित की गयी दिनांक 15 जनवरी, 2019 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि ऐसे समस्त विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों, जिन्हें उक्त सत्र में पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है, को अन्तिम रूप दिये जाने संबंधी कार्य को राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 38 से 52 तथा राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग मैनुअल, 1999 के नियम 55 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अविलम्ब पूर्ण कर लें तथा पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित संबंधित पत्रावली पर दिनांक 10.01.2019 तक आवश्यक रूप से विधि (ग्रुप-2) विभाग में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव विधि (ग्रुप-2) विभाग में भिजवाते समय पत्रावली के साथ निम्नांकित वांछित दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जायें:-

1. पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों तथा उसके उद्देश्यों एवं कारणों का कथन की हिन्दी तथा अंग्रेजी की टंकित छह प्रतियां, जिनमें से दो प्रतियां संबंधित प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा हस्ताक्षरित हों। विधेयक का प्रत्येक पृष्ठ उसकी शुद्धता के प्रतीक स्वरूप संबन्धित उप सचिव द्वारा हस्ताक्षरित हों।
2. मंत्रिमण्डल ज्ञापन की दो प्रतियां।
3. मंत्रिमण्डल आज्ञा की एक प्रमाणित प्रति।
4. विधेयक में वित्त संबंधी खण्ड, जिसमें कोई व्यय अन्तर्वलित हो, अन्तर्विष्ट होने की स्थिति में अधिप्रमाणित वित्तीय ज्ञापन की दो प्रतियां।
5. विधेयक में विधायिका की शक्तियों के प्रत्यायोजन का उपबन्ध होने की स्थिति में प्रत्यायोजित विधान सम्वन्धी ज्ञापन की अधिप्रमाणित दो प्रतियां।
6. विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों का कथन, वित्तीय ज्ञापन तथा प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन की हिन्दी और अंग्रेजी भाषा की दो-दो अधिप्रमाणित प्रतियां भिजवाया जाना आवश्यक है।
7. विधेयक के पारण के पश्चात्, यदि उस विधेयक में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति आवश्यक हो, उस स्थिति में तत्संबंधी सूचना भी पत्रावली के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त प्रशासनिक विभाग, विधान सभा सत्र में पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों के प्रस्ताव उपर्युक्त दस्तावेजों सहित पत्रावली दिनांक 10.01.2019 तक आवश्यक रूप से विधि (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही किसी विधेयक को सदन के समक्ष पुरःस्थापन से पूर्व गोपनीय रखे जाने की आवश्यकता, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में भी सूचित करें ताकि विधान सभा सचिवालय को यथासमय अवगत कराया जा सके। कोई प्रस्ताव विचाराधीन न होने की स्थिति में तत्संबंधी 'शून्य' सूचना से भी अवगत करावें।


07/01/19
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/ग्रुप/प्रकोष्ठ।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त प्रशासनिक विभागों के सचिवगणों को ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


07/01/19
विशिष्ट शासन सचिव